

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के विषय में:

बैंक की व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) वित्त वर्ष 2012-13 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 34 (2) (एफ) सेबी के परिपत्र संख्या 2015 के साथ पठित सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 दिनांक 04 नवंबर, 2015 यह मेंडेट देता है कि बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक गणना) के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) को शामिल करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन सूचीबद्ध संस्थाओं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ढांचे के आधार पर स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं, उन्हें एक अलग बीआरआर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि केवल अपने हितधारकों को उस ढांचे का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जिसके तहत उनकी बीआरआर तैयार की गई है और उनकी स्थिरता रिपोर्टों में किए गए सिद्धांतों की मैपिंग की गई है। लिंक इन्वेस्टर रिलेशंस के तहत बैंक की स्थिरता रिपोर्ट को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अपेक्षित मैपिंग के साथ बैंक की वेबसाइट [https:// www.sbi.co.in](https://www.sbi.co.in) पर रखा गया है। इसकी एक प्रति प्राप्त करने में रुचि रखने वाला कोई भी शेयरधारक बैंक को लिख सकता है (ईमेल आईडी: dgm.csr@sbi.co.in और डाक पता: उप महाप्रबंधक (सीएसआर और संवहनीयता), भारतीय स्टेट बैंक, 9वीं मजिल, कॉर्पोरेट सेंटर, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई- 400021

